न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 18/2020 प्रार्थना पत्र

1. पारसमल पिता सागरमल साण्ड, उम्र 51 साल, निवासी आदर्श कॉलोनी, कॉलेज रोड़, निम्बाहेड़ा।
2. राकेश पिता हस्तीमल चौरड़िया, आयु 48 साल, निवासी सोहन घाटी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।
2. नगरपालिका निम्बाहेड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता प्रार्थीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 23.06.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगणों की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम धीनवा की आराजी नम्बर 65, 66 कुल किता 2 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी के साबिक सेटलमेण्ट में नम्बर 20 थे जो काफी बड़ा नम्बर होकर उसमें से 15 बीघा बिलानाम बंजर भूमि के रूप में दर्ज था। इस आराजी के बाद में चलकर 20/400 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 21 बना जिसका रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हुआ जो कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा हुए। यह भूमि पूर्व में लक्ष्मी कुमारी बेवा रेवंत सिंह राजपूत के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। लक्ष्मी कुमारी ने विक्रय पत्र से यह जमीन ललिता कुंवर बेवा लाल सिंह गौड राजपूत, निवासी सविता कॉलोनी निम्बाहेड़ा को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 734 दिनांक 20.12.2006 से ललिता कुंवर की खातेदारी में दर्ज हुआ। ललिता कुंवर ने इस जमीन में से आधा हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 राकेश कुमार चौरड़िया को विक्रय कर दिया जो नामान्तरकरण संख्या 768 दिनांक 31.08.2007 से रूप में दर्ज हुआ। तभी से प्रार्थी संख्या 2 राकेश कुमार चौरड़िया की 1/2 हिस्से की खातेदारी में आराजीयात चली आ रही है। इस प्रकार शेष बचा हुआ 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदार ललिता कुंवर से खरीदा जिसका नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 31.08.2007 को तस्दीक

हुआ। तभी से यह भूमि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसी प्रकार मूल आराजी नं. 20 में से आराजी नं. 20/264 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के बने जो किशन सिंह, पूरण सिंह पिता चमना रावत के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। इसमें से किशन सिंह की मृत्यु हो जाने से पुरा खाता विरासत से इन्तकाल संख्या 739 दिनांक 17.01.2007 से पूरण सिंह पिता चमना रावत के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। बाद में पुरण सिंह ने यह आराजीयात विक्रय पत्र के माध्यम से राहुल पिता दिलीप नागौरी निवासी निम्बाहेड़ा को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 801 दिनांक 06.05.2008 को खुला। फिर राहुल ने अपना हिस्सा श्रीमती किरण पत्नी राकेश चौरड़िया को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 07.06.2008 को खुला। इसी प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड के टुकडे फर्दन– फर्दन विक्रय होते रहे और सम्बन्धित क्रेताओं की खातेदारी में दर्ज होते रहे। वर्तमान में आराजी नं. 65 व 66 जो प्रार्थीगणों की खातेदारी की है, जिसके पडोस पूर्व में अब्दुल जब्बार की कृषि भूमि जो उनकी पुत्री नसीम बानों वगैराह की खातेदारी की है, पश्चिम में ग्राम धीनवा की आबादी की जमीन, नहर व रास्ता व नगरपालिका, निम्बाहेड़ा की भूमि तथा आराजी नं. 62 जो किरण पत्नी राकेश चौरड़िया के नाम दर्ज है। उत्तर में आराजी नम्बर 64/643 तथा दक्षिण में आबादी भूमि आराजी नं. 51, 52, 53, 54 जिसमें इनके पुराने नम्बर 17/731 जो आराजी नम्बर 50 के हैं। आराजी नं. 51 के पुराने नम्बर 17 हे। आराजी नं. 52 के पुराने नम्बर 17/472 तथा आराजी नं. 53 के पुराने नम्बर 17/524 है। यह आबादी प्लाट की शक्ल में मौके पर मौजूद है। उसमें से मु. सुनिता साण्ड पत्नी पारसमल साण्ड एवं अन्य लोगों के पास कब्जा है। इस कृषि भूमि के चारों तरफ प्रार्थीगण ने बाउण्ड्रीवाल बना रखी है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा वक्त खरीद से चला आ रहा है। परन्तु हाल ही में प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हुई कि नवीन सेटलमेण्ट में नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि को गलत तरीके से पैमुद कर दिया गया है। जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा है वहां दिगर आराजीयात दर्ज कर दी गई है। भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बगैर मौके पर गये मन मकसूद तरीके से नक्शे में गलत पैमुद कर दिया है जबकि प्रार्थीगण का वक्त खरीद से उक्त वर्णित पडोसों के बीच की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्व अभिलेखों में नक्शे में सही तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि वर्तमान आराजी नं. 65 रकबा 3.4500 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 66 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर भूमि खातेदार राकेश कुमार पिता हस्तीमल चौरड़िया (जैन) 1/2 व पारसमल पिता सागरमल साण्ड (जैन) 1/2 सा. निम्बाहेड़ा के नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज रेकार्ड है। ग्राम धीनवा की आराजी नं. 64 रकबा 4.2300 हैक्टेयर नगरपालिका निम्बाहेड़ा आबादी विस्तार हेतु दर्ज रेकार्ड है। मौके अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 65 के पश्चिमी भाग के 1.3300 हैक्टेयर रकबे पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। इयर प्रकार आराजी नं. 66 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में से मात्र 0.1400 हैक्टेयर भूमि पर ही प्रार्थीगण का कब्जा है। शेष भूमि पर प्रार्थीगण का या उसके पूर्व खातेदारों व मूल आवंटियों का कोई कब्जा नहीं रहा है क्यों कि उक्त 0.2000 हैक्टेयर भूमि को नक्शे में पाल के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान आराजी नं. 6, 65 एवं 66 आराजी नं. 20 से ही बने हैं। प्रार्थीगण वर्तमान आराजी नं. 65 के पश्चिमी भाग रकबा 1.3300 हैक्टेयर व आराजी नं. 66 के पूर्वी भाग रकबा 0.2000 हैक्टेयर अर्थात कुल 1.5300 हैक्टेयर स्वयं की खातेदारी भूमि के बजाय नगरपालिका निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज आराजी नं. 64 पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। पर्चा मौका के साथ संलग्न नक्शे में इसे दर्शाया गया है। सेटलमेण्ट से पूर्व ग्राम धीनवा की गत आराजी नं. 20 में उपलब्ध रेकार्ड में कोई तरमीम नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर पटवार हल्का का पर्चा मौका और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया की गांव बडोली माधोसिंह में तुलछा एवं तुलसीराम एक ही व्यक्ति के नाम होकर अलग व्यक्ति नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं राशनकार्ड की छायाप्रतियों में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पिता गोपाल डांगी अंकित है जबकि ग्राम भट्ट कोटडी की खाता संख्या 71 की आराजीयात में बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम तुलछा पिता गोपाल डांगी दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए प्रार्थी का नाम तुलछा के बजाय तुलसीराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम भट्ट कोटडी की खाता संख्या 71 में प्रार्थी का नाम तुलछा पिता गोपाल डांगी, सा. बड़ोली माधोसिंह के स्थान पर तुलसीराम पिता गोपाल डांगी, सा. बडोली माधोसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व

रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 00:19:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: